

डिक्री मुकदमा इन्द्राज
(ओ० २० फल ६-७ जाब्ता वीबानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम - हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीतासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या- 144/2019

जीसीएमएस नं. 2019/00288

1. चन्दनसिंह उम्र 49 साल पिसरान
2. ओमप्रकाश उम्र 33 साल रामभरोसी
3. मुकेशी उम्र 35 साल बेबा साहब सिंह
4. सुधीर उम्र 13 साल पुत्री साहब सिंह नाबालिग
जरिये संरक्षिका माता मुकेशी देवी बेबा साहबसिंह
5. गुमानसिंह उम्र 55 साल
6. शिवसिंह उम्र 52 साल पिसरान
7. जगदीश उम्र 50 साल हरिसिंह
8. नरेश उम्र 49 साल
9. गोपाल उम्र 75 साल पुत्र घीसी
10. कामराज उम्र 50 साल पुत्र गुरजी
11. चन्दा उम्र 48 साल पुत्री कजोडया पत्नि गदुतीरसिंह
12. रमनसिंह उम्र 75 साल पिसरान जलसिंह
13. हीरासिंह उम्र 72 साल
14. नेमीसिंह उम्र 68 साल
15. रूपचंद उम्र 48 साल पुत्र अतरसिंह

हेमराज गुर्जर, R.A.S.
वायर दिनांक-17.09.2019

जाति जाट निवासी शेरपुर
तहसील हिण्डौन हाल
तहसील सूरौत जिला
करौली राज०

-----वादीगण-08

बनाम

1. हरिसिंह उम्र 60 साल पुत्र मंगल
2. रामभरोसी उम्र 60 साल पुत्र मंगल
3. बलराम उम्र 32 साल पुत्र देवीसिंह
4. रामवीर उम्र 28 साल पुत्र देवीसिंह
5. रामबानू उम्र 43 साल पुत्र मोती
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज०

जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन

-----प्रतिवादीगण-06

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 144/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री राधेश्याम शर्मा मिन कानिव मुदई प्रतिवादीगण 1 ता 6 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही रुबरु मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है, वादी ने विवादित आराजीयात के संबंध में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करवाफल रहा है। वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1983 धारा 136, 88, 188 खारिज किया जाता है।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.07.2024 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली